न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
98 / 2023	13.12.2023	18.06.2024

अनवान

1. मोडा पिता कालू जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भैरूलाल पिता नारायण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गोकल पिता नारायण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. चम्पा पिता माना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. प्रेमी पुत्री माना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रूकमणी पुत्री नारायण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. रमेश पिता माना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. श्यामलाल पिता माना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. सवागी बाई पुत्री नारायण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. गोटू दत्तक पिता उदयराम जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. चूना पिता हीरा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—
   1/1— भैरूलाल पिता चुना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. रामलाल पिता परथा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. शोभालाल पिता परथा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. डालू पिता परथा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. अयूब पिता मेहमूद खान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रामा पिता फुलचंद जाति कलाल आयु वयस्क निवासी उंदायला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. भैरूलाल पिता प्यारा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. उदयलाल पिता गोपीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:20 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सैयद फिरोज अली — प्रार्थीगण

एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 119 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1245, 1248, 1249, 1252, 1255, 1256, 1260, 1267, 1269, 1270, 1286, 1318, 1342, 1344, 1345, 1346, 1356, 1358, 1359, 426, 427, 428, 494, 613 कुल किता 24 कुल रकबा 5.24 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 24.01.2024 को अप्रार्थी सं0 2 से 5 व 7, 8 व दिनांक 29.05.2024 को विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 6 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। आज दिनांक 18.06.2024 को विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में खाता संख्या 17 का अंकन सहवन से हो गया है जो डिलीट फरमाया जावे। जो स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 17 पर कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैृ, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 119 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1245, 1248, 1249, 1252, 1255, 1256, 1260, 1267, 1269, 1270, 1286, 1318, 1342, 1344, 1345, 1346, 1356, 1358, 1359, 426, 427, 428, 494, 613 कुल किता 24 कुल रकबा 5.24 हैक्ट0 फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया ज[illegible] है, [illegible]मिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट [illegible] आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तह[illegible] कपासन को तहरीर जारी करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:20 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक [illegible]र्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन